उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-123/2016/1061/22-4-16-48(57)/15

लखनऊ : दिनांक- 12 अगस्त, 2016

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर. सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अधीन **निम्नलिखित 02 व्यक्तियों को जिला कारागार, कानपुर नगर** में गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय :-

1- श्री कंवलजीत सिंह पुत्र सरदार नरेन्द्र सिंह, निवासी-11/59 कौशलपुरी, जनपद-कानपुर।

2- श्री हरप्रीत सिंह बिन्द्रा पुत्र सरदार सुरजीत सिंह, निवासी-एलआईसी-45 रतनलाल नगर, जनपद-कानपुर।

एस0 के0 रघुवंशी

सचिव।

संख्या- 123/2016/1061(1)/22-4-16-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0,इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in